



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)

कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर

email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

क्रमांक: एफ 61(10)SSAAT/लोकपाल/2022-23 / 5324

जयपुर, दिनांक 07.11.2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक (EGS) एवं
जिला कलेक्टर,
जिला परिषद बाडमेर, चित्तौडगढ़,
जैसलमेर, जोधपुर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर।

विषय:- लोकपाल को प्राप्त शिकायत का निस्तारण एवं वसूली बाबत।

संदर्भ:- क्रमांक एफ 61(10)SSAAT/लोकपाल/2022-23/11920 जयपुर, दिनांक 10.03.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT) द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि राज्य के जिलों में कार्यरत लोकपाल द्वारा अपने निर्णयों से निकाली गयी वसूली राशि का समायोजन अभी तक नहीं कराया गया है। मनरेगा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली के संयुक्त सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक M-11015/14/2022-RE-III (381679) दिनांक 06.02.2023 (सलग्न) के द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोकपाल द्वारा निकाली राशि की शीघ्र वसूली हेतु कार्यवाही की जावे।

वर्ष 2022-23 व 2023-24 माह सितम्बर 2023 तक की प्राप्त वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 33 जिलों के लोकपाल से प्राप्त हुई है। जिनमें 6 जिलों के लोकपालों द्वारा यथा बाडमेर राशि रुपये 97600, चित्तौडगढ़ राशि रुपये 1710, जैसलमेर राशि रुपये 150000, जोधपुर राशि रुपये 13552, प्रतापगढ़ राशि रुपये 9750, श्रीगंगानगर राशि रुपये 3000, कुल राशि रुपये 275612/- की वसूली अनुशंसा की है।

अतः उक्त जिलों के सम्बंधित अतिजिला कार्यक्रम समन्वयकों को आगामी 15 दिवसों में उक्त वसूली राशि सम्बंधितों से वसूल कर अवगत कराने के निर्देश जारी करे।

(मंजू राजपाल)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 61(10)SSAAT/लोकपाल/2022-23 / 505-28

जयपुर, दिनांक 07.11.2023

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा को प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र के क्रम में सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर को भी निर्देशों की पालना हेतु लिखे जाने हेतु निवेदन है।
3. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला लोकपाल बाडमेर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
5026201



निदेशक (SSAAT)
Digitally signed by Manju Rajpal
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.11.07 12:51:30 IST
Reason: Approved